



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

पत्रकमांक...⁸⁸⁸ / म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग / शुस / 2017

भोपाल, दिनांक 0.8 / 11 / 2017

प्रति,

कुलसचिव,
ऐ .पी .जे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय ,
इंदौर (म.प्र.)

विषय:- वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक AKY/2017/109.दिनांक 6.05.2017

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित तथ्यों/शर्तों के अधीन अनुमोदित की गई, तदनुसार ऐ .पी .जे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)

संक्र	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क (15%)	योग
1	Diploma Engg.	0.500	0.357	0.063	0.420
2	B.Tech	0.65	0.507	0.090	0.597
3	M.Tech	0.60	0.510	0.090	0.600
4	D.Pharma	1.200	0.604	0.106	0.710
5	B.Pharma	0.65	0.428	0.076	0.504
6	M.Pharma	1.40	0.890	0.150	1.040
7	BBA	0.250	0.213	0.037	0.250
8	MBA	0.60	0.450	0.080	0.530

Recd.
E. Shilpi

9	PGDCA	0.30	0.145	0.025	0.170
10	BCA	0.250	0.213	0.037	0.250
11	MCA	0.60	0.510	0.090	0.600
12	DCA	0.20	0.170	0.003	0.173
13	B.Com	0.250	0.162	0.028	0.190
14	M.Com	0.30	0.248	0.044	0.292
15	BA	0.30	0.248	0.044	0.292
16	MA	0.250	0.213	0.037	0.250
17	B.sc	0.25	0.213	0.037	0.250
18	M.sc	0.30	0.255	0.045	0.300
19	B.sc(Agri)	1.000	0.736	0.130	0.866
20	Ph.d	1.75	0.727	0.128	0.855
21	B.ed	0.70	0.519	0.091	0.610

1. उपरोक्त शुल्क के पाठ्यक्रम के संचालन से संबन्धित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। यथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुर्नमूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. विकास शुल्क का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
3. आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना,अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा, अंतर के कारणों का स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई स्पष्ट करनी होगी,यदि लागते कम हुईं तो अधिक वसुली गईअधिक फीस छात्रों को वापस करना होगी।

(चेयरमैन द्वारा अनुमोदित)

सचिव